‘गर्भस्थ छात्र’ परंपरा: नीति पत्र

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय)
हरिद्वार (उत्तराखंड)

1. प्रस्तावना: स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा वर्ष 1902में स्थापित गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) का मूल ध्येय वैदिक शिक्षा दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान रहा है. अपनी स्थापना के प्रथम दिवस से ही यह संस्थान एक ऐसी अनूठी गुरु-शिष्य पद्धति का संवाहक रहा है, जहाँ शिक्षा केवल सूचनाओं का प्रेषण नहीं, अपितु व्यक्तित्व का परिष्कार है.

विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही यहाँ ‘गर्भस्थ छात्र’ परंपरा अक्षुण्ण रही है. यह संकल्पना भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मौलिक और अद्वितीय अधिष्ठान है. इसके अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध मात्र कक्षागत औपचारिकताओं तक सीमित न रहकर एक आध्यात्मिक, आत्मीय और जीवनपर्यंत जुड़ाव का रूप ले लेता है. यह व्यवस्था शिक्षक को एक अभिभावक और पथ-प्रदर्शक के रूप में छात्र के जीवन के साथ एकाकार करती है.

सांप्रतिक युग की प्रतिस्पर्धा और शिक्षा की जटिलता के मध्य विद्यार्थियों को न केवल बौद्धिक पोषण की, अपितु संवेदनात्मक संबल और सुस्पष्ट दिशा-बोध की महती आवश्यकता है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इसी प्रकार के विद्यार्थी-केंद्रित और सर्वांगीण विकास के प्रतिमानों पर बल दिया है. इस परिप्रेक्ष्य में ‘गर्भस्थ छात्र’ परंपरा न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, अपितु आधुनिक शैक्षिक चुनौतियों का एक मानवीय और प्रभावी समाधान भी है.

2. नीति के उद्देश्य

- गुरु-शिष्य परंपरा के उदात्त आदर्शों को समकालीन शैक्षिक ढांचे में सुदृढ़ करना.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों का बहुआयामी विकास सुनिश्चित करना.
- शिक्षण पद्धति को अधिक विद्यार्थी-केंद्रित और संवेदनशील स्वरूप प्रदान करना.
- प्रत्येक शिक्षार्थी हेतु वैयक्तिक मार्गदर्शन और संरक्षण की व्यवस्था करना.
- विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को संबल प्रदान करना जो विषय बोध में कठिनाई का अनुभव करते हैं अथवा जिन्हें मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता है.
- विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, आत्म-अनुशासन और जीवन कौशलों का बीजारोपण करना.

3. परिभाषा: 'गर्भस्थ छात्र' परंपरा एक सुव्यवस्थित और संरचित मार्गदर्शन पद्धति है. इसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों का एक निश्चित समूह आवंटित किया जाता है. शिक्षक इन विद्यार्थियों के शैक्षणिक, मानसिक और सामाजिक उत्थान का उत्तरदायित्व एक अभिभावक की भाँति वहन करते हैं.

4. व्याप्ति: यह नीति विश्वविद्यालय के समस्त संकायों, विभागों और प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी, जिससे समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

5. संरचना एवं क्रियान्वयन विधि

5.1 विद्यार्थी आवंटन

- विद्यार्थियों का आवंटन विभागीय स्तर पर संपन्न किया जाएगा.
- विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शिक्षक-छात्र अनुपात का निर्धारण करेंगे.
- मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा; उन्हें ऐसे अनुभवी शिक्षकों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा जो उन्हें पर्याप्त समय और गहन मार्गदर्शन दे सकें.

5.2 शिक्षक (गुरु) का उत्तरदायित्व

- विद्यार्थियों को नियमित शैक्षणिक और वैयक्तिक परामर्श प्रदान करना.
- विद्यार्थियों की प्रगति और उनके आचरण का सतत मूल्यांकन करना.
- धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों हेतु विशेष कार्ययोजना का निर्माण करना, जैसे:
  - अतिरिक्त कक्षाएं और उपचारात्मक शिक्षण.
  - शिक्षण की सरल और सुग्राही प्रविधियों का प्रयोग.
  - व्यक्तिगत स्तर पर संवाद और विमर्श.
- विद्यार्थियों को भावनात्मक संबल प्रदान करना और आवश्यकतानुसार 'परामर्श प्रकोष्ठ' के साथ समन्वय स्थापित करना.

5.3 विद्यार्थी की भूमिका

- अपने गुरु के साथ निरंतर संवाद और संपर्क बनाए रखना.
- प्रदत्त निर्देशों और सुधारात्मक परामर्शों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करना.
- विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करना.

6. क्रियान्वयन की रूपरेखा

6.1 विशेष संबल योजना: धीमी गति से सीखने का अनुभव करने वाले छात्रों हेतु

- शैक्षणिक सत्र के आरंभ में ही विद्यार्थियों की क्षमताओं का सूक्ष्म आकलन कर उनकी पहचान की जाएगी.
- ऐसे विद्यार्थियों हेतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप 'व्यक्तिगत अधिगम योजना' निर्मित की जाएगी.
- नियमित अंतराल पर उनकी प्रगति की समीक्षा संपन्न होगी.
- उनके मनोबल संवर्धन हेतु समय-समय पर प्रेरणादायक व्याख्यान,विशेष संज्ञानात्मक अभ्यास, उपचारात्मक कक्षाएं और मनोवैज्ञानिक परामर्श आयोजित किए जाएंगे.

6.2 संवाद एवं गोष्ठियाँ

- त्रैमासिक एक सामूहिक गोष्ठी का आयोजन अनिवार्य होगा.
- आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत स्तर पर भी परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे.

6.3 प्रलेखन एवं प्रतिवेदन

- प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का विस्तृत विवरण संकलित किया जाएगा.
- विशेष सहायता प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के सुधार का पृथक अभिलेख रखा जाएगा.
- इसकी त्रैमासिक आख्या विभागाध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी.

7. सहायक तंत्र

- छात्र कल्याण परिषद
- विश्वविद्यालय का छात्र परामर्श प्रकोष्ठ.
- उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था.
- आर्थिक और शैक्षणिक सहायता सेवाएँ.

- एस सी एस टी प्रकोष्ठ
- समान अवसर प्रकोष्ठ

8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन: विद्यार्थियों के व्यवहारिक सुधार और उनकी उपलब्धि को शिक्षक के कार्य-निष्पादन का मुख्य आधार माना जाएगा. एक वार्षिक समीक्षा समिति इस संपूर्ण नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी.

9. अपेक्षित परिणाम

- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संतुलित और सर्वांगीण विकास.
- अध्ययन में पिछड़ रहे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में गुणात्मक सुधार.
- परिसर में एक अधिक संवेदनशील, सुरक्षित और सकारात्मक शैक्षणिक परिवेश का सृजन.

10. संशोधन: यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीनतम मानकों के आलोक में समय-समय पर परिमार्जित की जा सकेगी.

11. निष्कर्ष: 'गर्भस्थ छात्र' परंपरा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की वह विशिष्ट पहचान है, जो प्राचीन संस्कारों और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि के समन्वय से एक आदर्श समाज का सृजन करती है.

यह परंपरा केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नहीं है, अपितु यह विद्यार्थी के भीतर सुप्त संभावनाओं को जागृत करने की एक अनवरत साधना है. जिस प्रकार एक माता गर्भस्थ शिशु का संरक्षण और पोषण करती है, उसी प्रकार इस नीति के माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान, वात्सल्य और मार्गदर्शन से विद्यार्थी के व्यक्तित्व को गढ़ते हैं. यह निरंतर संवाद और आत्मीयता का परिवेश छात्रों में न केवल आत्मविश्वास का संचार करता है, अपितु उन्हें राष्ट्र के प्रति एक सजग और उत्तरदायी नागरिक के रूप में भी प्रतिष्ठित करता है.